विद्यालय PRAGATI PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL (P44648) आवेदन क्रमांक : 42624

मान्यता कोड : RJKOT33683

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक KOTA , राजस्थान

क्रमांक: 26 दिनांक 20/02/2024

सचिव

प्रबंध समिति

PRAGATI PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 42624 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, PRAGATI PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL पता NH 76, UJJWAL VIHAR COLONY, BARAN ROAD, KOTAग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NAGAR NIGAM Kota-North ब्लॉक KOTA(U) आसा पासा (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण) 36, 31/1 खसरा नं. 30, 38, 39 को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

प्रवन्ध अंतरण के लिए विवरण			
पूर्व सोसाइटी का नाम	SAMAJ KALYAN AND ANUSNDHAN SAMITI		
पूर्व सोसाइटी पंजीयन संख्या	112/1996	पूर्व सोसाइटी पंजीयन दिनांक	04/12/1996
नवीन सोसाइटी का नाम	R M EDUCATIONAL TRUST		
नवीन सोसाइटी पंजीयन संख्या	175/2002	नवीन सोसाइटी पंजीयन दिनांक	11/08/2010

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय, माध्यमिक कोटा

लय - PRAGATI PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL (P44648) आवेदन क्रमांक : 42624

मान्यता कोड : RJKOT33683

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरूद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय, माध्यमिक कोटा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तो का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय, माध्यमिक कोटा

कायोलय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा कोटा।

क्रमांक –जिशिअ / मु / माध्य. / कोटा / 2024–25 / 11 दिनांक 13/2/2024

श्रीमान अध्यक्ष / सचिव महोदय,
प्रगति पब्लिक सी0सै0स्कूल,कोटा।

विषयः–आपकी संस्था विद्यालय आवेदन क्रमांक–(42624)को प्रबन्ध अन्तरण उमावि. स्तर हेतु वांछित डीडी / एफडी जमा करवाने बाबत्।

प्रसंगः– शिविरा / मा / पीएसपी–सी / अ–2 / 60566 / प्रबन्ध अन्तरण / वो–1 / 2023–24 / 15–20 दिनांक 12.05.23

महोदय,

उपरोक्त विषय एंव प्रासांगिक पत्र के क्रम मे लेख हे कि,सत्र 2023–24 मे आपकी संस्था द्वारा आवेदनानुसार, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन उपरान्त आपकी संस्था को विद्यालय आवेदन क्रमांक–(42624)को प्रबन्ध अन्तरण(उमावि.स्तर)हेतु आदेश जारी किया जाना है।इससे पूर्व आपकी संस्था / विद्यालय के नाम के सम्मुख अंकित राशि का सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर के नाम डी0डी0 / संस्था समिति एंव जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक कोटा के नाम संयुक्त एफडी तत्काल कार्यालय मे जमा करावें।

क्र.स.	विद्यालय का नाम	आवेदन क्रमांक	मान्यता	सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर के नाम डी.डी.	समिति का नाम एंव जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक कोटा
1	प्रगति पब्लिक सी0सै0स्कूल,कोटा।	(42624)	प्रबन्ध अन्तरण उमावि.स्तर	5,0000 / –	300000 / –

जिला शिक्षा अधिकारी,
मुख्यालय माध्यमिक कोटा।
दिनांक 13/2/2024

क्रमांकः जिशिअ / मु / माध्य. / कोटा / 2024–25 / 11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1.श्रीमान उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2.समस्त उप निदेशक (माध्यमिक)शिक्षा विभाग
3.संबन्धित संस्थाप्रधान...
4.रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
मुख्यालय माध्यमिक कोटा।